भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1609 का उत्तर

तमिलनाडु में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए जारी परियोजनाएँ

1609. श्री नवसकनी के.:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में रेल नेटवर्क के विस्तार हेतु जारी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान तमिलनाडु में कितनी नई रेल लाइनें संस्वीकृत/निर्मित की गई हैं;
(ग) क्या सरकार की तमिलनाडु में वंचित/दूरस्थ क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई रेल लाइनें बिछाने की योजना है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार माल ढुलाई और यात्री परिवहन में सुधार लाने के लिए तमिलनाडु में औद्योगिक और कृषि केन्द्रों को जोड़ने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;
(ङ) क्या उक्त राज्य में रेल नेटवर्क विस्तार परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) की कोई पहल की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(च) क्या उक्त राज्य में ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक रेल सम्पर्क का विस्तार करने लिए विशिष्ट परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं; और
(छ) सरकार द्वारा उक्त राज्य के दूरस्थ जिलों में लोगों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (छ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

तमिलनाडु में रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए जारी परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्री नवसकनी के. के अतारांकित प्रश्न सं. 1609 के भाग (क) से (छ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (छ): रेल परियोजनाओं का सर्वेक्षण/स्वीकृति कार्यान्वयन राज्य-वार नहीं बल्कि क्षेत्रीय रेल-वार किया जाता है, क्योंकि रेल परियोजनाएं राज्यों की सीमाओं के आर-पार फैली हो सकती हैं। रेल परियोजनाओं को लाभप्रदता, यातायात अनुमान, अंतिम स्थान संपर्क, अनुपलब्ध कड़ियों और वैकल्पिक मार्गों, औद्योगिक क्षेत्रों, संकुलित/संतृप्त लाइनों का संवर्धन, राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, संसद सदस्यों, अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगों, रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताओं, सामाजिक-आर्थिक दृष्टिकोणों, कृषि केंद्रों आदि के आधार पर स्वीकृत किया जाता है जो चालू परियोजनाओं के थ्रो-फॉरवर्ड और निधियों की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अशत: पड़ने वाली रेल अवसंरचना परियोजनाएं भारतीय रेल के दक्षिण रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे और दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन के अंतर्गत शामिल हैं। लागत, व्यय और परिव्यय सहित रेल परियोजनाओं का क्षेत्रीय रेल-वार ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाता है।

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली 33,467 करोड़ रुपए की लागत की कुल 2,587 कि.मी. लंबी 22 रेल परियोजनाएं (10 नई लाइन, 03 आमान परिवर्तन और 09 दोहरीकरण) योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनमें से 665 कि.मी. लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और इस पर मार्च, 2024 तक 7,153 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। कार्यों की स्थिति का सार निम्नानुसार है:-

S.K

योजना शीर्ष	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किमी में)	कमीशन की गई लंबाई (किमी में)	मार्च 2024 तक व्यय (करोड़ रु. में)
नई लाइनें	10	872	24	1,223
आमान परिवर्तन	03	748	604	3,267
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	09	967	37	2,664
कुल	22	2,587	665	7,153

पिछले पांच वर्षों अर्थात् वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल लंबाई 2252 किलोमीटर की कुल 26 परियोजनाओं (04 नई लाइन और 22 दोहरीकरण) के सर्वेक्षण को स्वीकृति दी गई है।

पिछले पांच वर्षों अर्थात वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-2022, 2022-23, 2023-24 और चालू वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली कुल लंबाई 932 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 75 किलोमीटर लंबाई की कुल 04 परियोजनाओं (01 नई लाइन और 03 दोहरीकरण) को स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में, सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत रेल खंड के विस्तार के लिए कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	879 करोड़ रुपए /प्रतिवर्ष
2024-25	6,362 करोड़ रुपए (7 गुना से अधिक)

वर्ष 2009-14 और 2014-24 के दौरान तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाले रेलपथों को कमीशन करने/बिछाने संबंधी ब्यौरा नीचे दिया गया है:

अवधि	कमीशन किया गया कुल रेलपथ
2009-14	923 कि.मी.
2014-24	1,302 कि.मी.

S.K

हालांकि निधियों के आबंटन में कई गुना वृद्धि हुई है परन्तु परियोजना के निष्पादन की गति शीघ्र भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करती है। रेलवे राज्य सरकार के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण करती है और रेल परियोजना का पूरा होना भूमि अधिग्रहण पर निर्भर करता है। बहरहाल, तमिलनाडु राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु राज्य में भूमि अधिग्रहण कार्यों की स्थिति निम्नानुसार है:-

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	3389 हेक्टेयर
भूमि अधिग्रहण	866 हेक्टेयर (26%)
शेष भूमि का अधिग्रहण किया जाना है	2523 हेक्टेयर (74%)

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन में तेजी ला रही है, बहरहाल इसकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है। उदाहरणार्थ, कतिपय प्रमुख परियोजनाओं, जो भूमि अधिग्रहण न होने के कारण लंबित हुई है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आवश्यक कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहित की गई भूमि (हेक्टेयर में)	शेष भूमि अधिग्रहीत किया जाना है (हेक्टेयर में)
1	टिंडीवनम-तिरुवन्नामलाई नई लाइन (71 कि.मी.)	273	33	240
2	अट्टिपट्टू-पुत्तूर नई लाइन (88 कि.मी.)	189	0	189
3	मोरप्पुर-धरमापुरी (36 कि.मी.)	93	0	93
4	मन्नारगुड़ी-पट्टुकोट्टई (41 कि.मी.)	152	0	152
5	तंजावुर-पट्टुकोट्टई (52 कि.मी.)	196	0	196

किसी भी रेल परियोजना (परियोजनाओं) का पूरा होना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे राज्य सरकार द्वारा त्वरित भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के अधिकारियों द्वारा वन संबंधी स्वीकृति, लागत में भागीदारी वाली परियोजनाओं में राज्य सरकार द्वारा लागत में हिस्सेदारी जमा करना, परियोजनाओं की

प्राथमिकता, अतिलंघनकारी जनउपयोगिताओँ का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियां, क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल (स्थलों) के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति, जलवायु परिस्थितियों के कारण परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है।

रेल परियोजनाओं के त्वरित अनुमोदन और कार्यान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में (i) गति शक्ति इकाइयों की स्थापना (ii) परियोजनाओं की प्राथमिकता (iii) प्राथमिकता वाली परियोजनाओँ पर निधियों के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि (iv) फील्ड स्तर पर शक्तियों का प्रत्यायोजन (v) विभिन्न स्तरों पर परियोजना की प्रगति की गहन निगरानी और (vi) शीध्र भूमि अधिग्रहण, वानिकी अवं वन्यजीव संबंधी मंजूरी हेतु राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने और परियोजनाओं से संबंधित अन्य मामलों का समाधान करना शामिल है। इससे वर्ष 2014 से कमीशनिंग की दर में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

*****

S.K